

# न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/95/2023

रजू दिनांक: 20.07.2023

रजि0 न0 2023/612

**अपीलार्थी:-**

श्री प्रतापसिंह अधिवक्ता, कोर्ट कैम्पस  
बहरोड़, तहसील बहरोड़, जिला अलवर  
301701 (राजस्थान)

**प्रत्यर्थी:-**

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त  
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर, जिला  
अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**—:: निर्णय ::—**

दिनांक:- 21.08.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.08.2023 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी/प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/1272 दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन के द्वारा वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण मूल RTI आवेदन कार्यालय पत्र सं0 771-72 दिनांक 09.06.2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत विहित समयावधि में ही तहसीलदार बहरोड़ को अन्तरित किया जा चुका है, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है। अपीलार्थी अग्रिम जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें अथवा प्राप्त नहीं होने पर उनके ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को सूचना का अधिकार अधि0 2055 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करें। अपील इस न्यायालय में श्रवण योग्य नहीं है साथ ही इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यावाही अपेक्षित नहीं है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(पुखराज सेन)  
जिला कलेक्टर अलवर  
(राज0)